न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 185/2023

प्राथी — **बनाम** — विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. हिमताराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी भूंका वगततसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. रघुनाथराम पुत्र ताजाराम
2. राजाराम पुत्र ताजाराम
3. टीकूराम पुत्र मोडाराम
4. देदाराम पुत्र मोडाराम
5. धनीदेवी पत्नि जेरामाराम
6. मांगाराम पुत्र जेरामाराम
7. सताराम पुत्र धर्माराम
8. उर्जाराम पुत्र हीराराम
9. चुनी पत्नि अमराराम
10. नोजीदेवी पत्नि निम्बाराम
11. मंगनाराम पुत्र वेहनाराम
12. रूपाराम पुत्र हीराराम
13. रामाराम पुत्र अमराराम
14. लक्ष्मणराम पुत्र अमराराम जातियान जाट निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
15. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–रा[illegible]व अ[illegible]नियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की क[illegible])

उपस्थिति–

1. श्री भंवरालाल सारण, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक 07.12.2023

1 संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा भूंका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 593/2 रकबा 3.0418 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 593/2 रकबा 3.0418 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2 प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 593/2 रकबा 3.0418 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 593/2 रकबा 3.0418 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 593/2 रकबा 3.0418 हैक्टेयर प्रार्थी का खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.02.07 14:41:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह मौजा भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 593/2 रकबा 3.0418 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:07 IST
Reason: SelfAttested